न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 74/2017 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2016/000456

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. राजाराम पुत्र केसारामजी, जाति घाची निवासी ढाबर, तहसील रोहट जिला पाली (राज.)		1. श्रीमती सुगना देवी पत्नी कानारामजी जाति घांची निवासी ढाबर, तहसील रोहट जिला पाली 2. ग्राम पंचायत ढाबर, जरिये सरपंच महोदय, तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी :: 92/2017 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2017/000454

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. पेमाराम पुत्र हीराजी जाति घांची निवासी ढाबर तहसील रोहट जिला पाली।		1. श्रीमती सुगनादेवी पत्नी कानाराम जाति घांची निवासी ढाबर, तहसील रोहट जिला पाली 2. ग्राम पंचायत ढाबर, जरिये सरपंच महोदय, तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

<u>पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994</u>

अधिवक्ता :– प्रार्थी की ओर से सुमेर सिंह राजपुरोहित उपस्थित
अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री श्यामसुंदर पंचारिया उपस्थित

–:: <u>नि र्ण य</u> ::–

दिनांक :– 25/2/21

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त दोनों पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के विरूद्ध प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 05.11.2004, मिसल संख्या 201 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा संख्या 6637 दिनांक 05.11.2004 को निरस्त कराने हेतु पेश किया गया है। दोनों निगरानी प्रार्थना पत्र एक ही ग्राम पंचायत ढाबर द्वारा जारी उसी पट्टे, प्रस्ताव व मिसल में जारी आदेश एवं एक ही अप्रार्थीया सुगनादेवी पत्नी कानाराम के विरूद्ध प्रस्तुत होने से दोनों प्रकरण एक साथ निर्णय हेतु समेकित किया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये जाकर अप्रार्थीगण व ग्राम पंचायत ढाबर के जैर निगरानी पट्टा सम्बन्धी रेकर्ड तलब किया गया एवं बहस उभय पक्ष सुनी जाकर एक ही निर्णय किया जाता है।

वकील प्रार्थी ने कथन किया कि जैर निगरानी आराजी का पट्टा अप्रार्थिया के दादा ससुर भूराराम के नाम का उसी परिसर का जारी किया हुआ है उक्त पट्टा मिसल संख्या 3/08.06.66 कायम कर उसमें पारित जरिये आदेश दिनांक 20.04.1967 को पट्टा जारी किया गया, रेकर्ड पर पट्टा बुक नहीं है मिसल है उक्त पट्टा 2365.5 वर्गफीट का जारी किया गया जिसके वर्गगज 591.25 है। इसी पर अप्रार्थिया का मकान बना हुआ है। जिसके परिसर को तीन तरफ आगे बढाते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया जिसका मौके का नक्शा भी निगरानी के संलग्न है। जैर निगरानी पट्टा पूर्व में भूराराम (दादा [illegible]) के नाम जारी पट्टा भूमी को बढाकर दोबारा जारी किया गया है एक बार [illegible] भू/मकान का पट्टा जारी किया जाता है उसका दोबारा पट्टा [illegible] है अतः पश्चातवर्ती जारी जैर निगरानी पट्टा निरस्त योग्य है। जैर निगरानी पट्टे सम्बन्धी ग्राम पंचायत ढाबर द्वारा जो मिसल संख्या 201 कायम की गई इसके अवलोकन से स्पष्ट है कि मिसल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:14:27 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश.....................2

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

में आदेशिकाएं लिखित नहीं होकर फोटो प्रतियां ही है उनमें भी हस्ताक्षरों एवं दिनांक का अभाव है। पत्रावली में मौका रिपोर्ट नहीं है। बयान नहीं लिए गए है सम्पूर्ण प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज नियमों के अनुरूप नहीं की गई है। पत्रावली में कही भी मोहर हस्ताक्षर दिनांक आदि नहीं होने से उसकी वैधानिकता पर भी प्रश्न चिन्ह होने से पट्टा नियमानुसार जारी नही किया जाना स्पष्ट है। इस न्यायालय द्वारा जो रिपोर्ट तहसीलदार रोहट से मंगवाई गई उसमें भी नजरी नक्शा के नाप बढाकर भूराराम पुत्र शेराजी घांची जो अप्रार्थीया के दादा ससुर हैं उनके नाम पट्टा जारी किया हुआ है उसके उक्त पट्टे के नाप को बढाकर नाप अंकित कर जैर निगरानी पट्टा उसी आराजी का दोबारा जारी किया गया है। मकान का पूर्व में जारी पट्टा संख्या 21/1966 –1967 में जारी किया गया था वर्तमान में दक्षिण दिशा में 31 फिट बढाकर जो पट्टा संख्या 6637 जारी किया गया है। जो दिनांक 05.11.2004 को लिए गए प्रस्ताव संख्या 4 की अनुपालना में जारी होना अंकित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दिवस को प्रस्ताव नहीं लिखे हुए है अर्थात उक्त दिवस को ग्राम पंचायत की मिटींग ही नहीं होना स्पष्ट है। इस प्रकार किसी प्रस्ताव के बिना तथा प्रक्रिया को अपनाये बिना पट्टे पर दुबारा पट्टा भूमी को आगे रास्ते एवं चौक में बढाकर जारी किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जावे। वकील प्रार्थी द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 1984 **RLW 528, 2013(1) RRT 350, 2000(2) RLW 941, 1996 DNJ 413, 1995 DNJ 458 , 1998 DNJ 560** भी पेश किये गये।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि दादा ससुर के नाम पट्टा जारी किया हुआ नहीं है जहां तक पट्टे की प्रक्रिया का प्रश्न है अप्रार्थिया अनपढ महिला होने से उसे प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है तथा किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि रही है तो वह पंचायत की तरफ से रही है इसके लिए अप्रार्थिया को उतरदायी नहीं ठहराया जा सकता है न ही इसका खामियाजा अप्रार्थिया को भुगतान करने का उत्तरदायित्व होता है। जैर निगरानी पट्टा पंचायत की आबादी भूमी में ही जारी किया गया है जिसका पंचायत को अधिकार है। उक्त पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अप्रार्थियां के पड़ोसियों द्वारा आपसी द्वेषता व अनबन के कारण पेश किए गए है। जिन्हें निरस्त फरमाया जावे।

बहस सुनी गई। इस न्यायालय की पत्रावलियों का तथा ग्राम पंचायत ढाबर से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में 2 बिन्दुओं पर विवेचन किया जाना न्यायोचित है :–

1. पट्टे पर पट्टा जारी किया गया है अथवा नहीं।
2. पट्टा जारी करते वक्त नियमों एवं प्रक्रिया का पालन किया गया है अथवा नहीं।

तहसीलदार रोहट द्वारा दिनांक 04.06.2019 को इस न्यायालय के आदेशानुसार मौका जाँच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित है कि पूर्व में इस भूमी से सम्बन्धित पट्टा भूराराम पुत्र शेराजी घांची के नाम पट्टा संख्या 21 जारी किया हुआ है। उक्त पट्टे को समेकित करते हुए नया पट्टा भूमी को 31 फीट रास्ते में सार्वजनिक चौक की तरफ बढ़ाते हुए नया पट्टा सुगना देवी के नाम जारी किया गया है। तथा भूखण्ड के दक्षिण दिशा में लोहे [illegible] कि पक्का निर्माण वर्ष 1996–97 में जारी पट्टा संख्या 21 की भूमी [illegible] 0.6 फीट पर ही किया हुआ है। इससे सिद्ध है कि जैर नि[illegible] द्वारा पूर्व में भूराराम के नाम जारी किया हुआ था [illegible] निगरानी आराजी नुजूल आबादी भूमी नहीं रह जाने से जो जैर निगरानी पट्टा ज[illegible] किया गया है राजस्थान पंचायती राज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:14:27 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश.........................3

जिला कलेक्टर, पाली

नियम 140 के विपरीत जारी किये जाने से **ab initio void** होने से निरस्त योग्य है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **1998 DNJ 560** के अनुसार :– पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आवंटित किया– पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की–विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया–पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने के आधार पर आवंटन बहाल रखा–जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है– अप्रार्थी सं. 5 को पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है। न्यायिक दृष्टांत 1984 RLW के अनुसार :– **The Collector may be Justified in holding that the land which forms part of the public way cannot be sold by the Gram Panchayat because those lands which form part of the public streets and pathways are vested in the Gram Panchayat only as a trustee thereof and the Gram Panchayat has no right to dispose of the same by way of sale or otherwise.**
उक्त दोनों न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होते है। ऐसी स्थिति में जैर निगरानी पट्टा निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

जैर निगरानी पट्टा मिसल संख्या 201 ग्राम पंचायत ढाबर के अवलोकन से स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टे सम्बन्धी ग्राम पंचायत ढाबर द्वारा जो मिसल संख्या 201 कायम की गई इसके अवलोकन से स्पष्ट है कि मिसल में आदेशिकाएं लिखित नहीं होकर फोटो प्रतियां ही है उनमें भी हस्ताक्षरों एवं दिनांक का अभाव है। पत्रावली में मौका रिपोर्ट नहीं है। बयान नहीं लिए गए है सम्पूर्ण प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज नियम 145 से 157 के अनुरूप नहीं की गई है। पत्रावली में कही भी मोहर हस्ताक्षर दिनांक आदि नहीं होने से उसकी वैधानिकता पर भी प्रश्न चिन्ह होने से पट्टा नियमानुसार जारी नहीं किया गया है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अप्रार्थिया 1 के हक में ग्राम पंचायत ढाबर के प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 05.11.2004 तथा मिसल संख्या 201 में पारित आदेश की पालना में जारी पट्टा संख्या 6637 दिनांक 05.11.2004 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25/2/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर , खुले न्यायालय में सुनाया जाकर , शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:14:27 IST
Reason: SelfAttested